



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802(अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 400 /अका./का.प/2025

रायपुर, दिनांक 25/02/2025

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '95वाँ' बैठक मंगलवार दिनांक 25.02.2025 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| 1. श्री पुरन्दर मिश्रा | – सदस्य | 7. डॉ. गिरीश चंदेल (Online) | – सदस्य |
| 2. डॉ. एन. बोधनकर | – सदस्य | 8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट (Online) | – सदस्य |
| 3. डॉ. अशोक कुमार प्रधान | – सदस्य | 9. श्री कमलेश ठोकने | – सदस्य |
| 4. डॉ. कल्लोल कुमार घोष | – सदस्य | 10. प्रो. मधुश्री शेखर (Online) | – सदस्य |
| 5. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स | – सदस्य | 11. श्री प्रकाश चंद्र चोपड़ा | – सदस्य |
| 6. डॉ. मेघेश तिवारी | – सदस्य | | |

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव – सचिव

अनुपस्थित सदस्य- श्री मोतीलाल साहू, श्री गुरु खुशवंत साहेब, श्री रोहित साहू, श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, डॉ. मनोज कुमार मिश्रा, डॉ. (श्रीमती) राधा पाण्डेय, सचिव वित्त, डॉ. विजयानंद सिंह

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09.01.2025 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान कर पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: सूचना ग्रहण करते हुए संपुष्टि प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. डॉ. व्यास दुबे, प्राध्यापक, सांख्यिकी अध्ययनशाला के अर्जित अवकाश नगदीकरण राशि रूपए 26,18,400/- (रूपए छब्बीस लाख अठारह हजार चार सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. श्री कैलाश कुमार चौधरी, वरिष्ठ अधीक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 30,83,468.00 (रूपए तीस लाख तिरासी हजार चार सौ अड़सठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. श्री राजेन्द्र प्रसाद औसर, वरिष्ठ अधीक्षक (से.नि.) के अर्जित अवकाश नगदीकरण राशि रूपए 7,99,200/- (रूपए सात लाख निन्यानबे हजार दो सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. स्व. श्रीमती बुधियारीन बाई साहू, चपरासी, फार्मसी संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का आकस्मिक निधन होने के कारण सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 6,10,865.00 (रुपए छः लाख दस हजार आठ सौ पैंसठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 80 महाविद्यालयों को वार्षिक परीक्षा 2024-25 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रु. 1,39,10,000.00 (रुपए एक करोड़ उनतालीस लाख दस हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

7. DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत खरीदे गए उपकरण 02 Port (SP) Glove Box एवं lab prerequisites का राशि रु. 67,72,020.00 (रुपए सड़सठ लाख बहत्तर हजार बीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को DST, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त परियोजना (DST-PURSE Project; SR/PURSE/2022/145) के अंतर्गत खरीदे गए शोध उपकरण M.Barun Inertgas System Model EasyLab Pro I 02 Port (SP) Glove Box Package हेतु भुगतान की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई –

क्र.	उपकरण/कार्य का नाम	फर्म	Amount to be paid
1	02 Port (SP) Glove Box	M/S Bharati Chemical & Scientific Works, Kolkata	Rs. 59,29,500=00
2	Lab prerequisites	M/S Bharati Chemical & Scientific Works, Kolkata	Rs. 8,42,520=00
Total =			Rs. 67,72,020=00

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. सीधी भर्ती एवं कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत चयन समिति की अनुशंसा संबंधी बंद लिफाफा खोले जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: **[A] Career Advancement Scheme (CAS)**

कार्यपरिषद् के सम्मानित सदस्यों की सहमति प्राप्त करते हुए कुलपति महोदय द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार Career Advancement Scheme (CAS) के अंतर्गत आयोजित "Screening-Cum-Evaluation Committee" तथा Selection Committee की विभिन्न तिथियों में आयोजित बैठकों में की गई संस्तुतियों से संबंधित सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के स्तरोन्नयन के संबंध में बंद लिफाफों को खोला गया –

S. No.	Name of Candidate	Current Academic Level	Recommended Academic Level from the Committee	Date of Selection Committee/ Screening-Cum-Evaluation Committee Meeting	Date of Eligibility (w.e.f.) for promotion	SoS/ Department
1.	Dr. Deependra Singh	Associate Professor AL-13A	Professor AL-14	25.01.2025	22.12.2023	Pharmacy
2.	Dr. Manju Singh	Associate Professor AL-13A	Professor AL-14	25.01.2025	22.12.2023	Pharmacy
3.	Dr. Amber Vyas	Associate Professor AL-13A	Professor AL-14	25.01.2025	22.12.2023	Pharmacy

4.	Dr. Vishal Jain	Associate Professor AL-13A	Professor AL-14	25.01.2025	24.12.2023	Pharmacy
5.	Dr. Rajendra Kumar Jangde	Asst. Professor AL-12	Associate Professor AL-13A	25.01.2025	08.11.2024	Pharmacy
6.	Dr. Rakesh Tirkey	Asst. Professor AL-11	Asst. Professor AL-12	25.01.2025	27.08.2024	Pharmacy
7.	Dr. Adeep Kujur	Asst. Professor AL-11	Asst. Professor AL-12	25.01.2025	29.09.2024	Pharmacy
8.	Dr. Archana Sethi	Asst. Professor AL-12	Associate Professor AL-13A	25.01.2025	08.11.2024	Economics
9.	Dr. Sunil Kumar Kumeti	Asst. Professor AL-12	Associate Professor AL-13A	25.01.2025	08.11.2024	Economics
10.	Dr. Afaque Quraishi	Associate Professor AL-13A	Professor AL-14	03.02.2025	15.09.2023	Biotechnology
11.	Dr. Kamlesh Kumar Shukla	Associate Professor AL-13A	Professor AL-14	03.02.2025	25.09.2023	Biotechnology
12.	Dr. Nagendra Kumar Chandrawanshi	Asst. Professor AL-12	Associate Professor AL-13A	03.02.2025	08.11.2024	Biotechnology

उपर्युक्तानुसार कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से स्तरोन्नयन के संबंध में आयोजित चयन समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया।

[B] सीधी भर्ती

(1) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सीधी भर्ती विज्ञापन 3916/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 06.09.2023 और विज्ञापन क्रमांक 2895/स्था./सा.प्रशा./2024 रायपुर, दिनांक 03.10.2024 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पर साक्षात्कार के लिए छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49(2) के अंतर्गत गठित चयन समिति की विभिन्न तिथियों में आयोजित बैठकों में की गई संस्तुतियों के आधार पर प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों के चयन के संबंध में कार्यपरिषद् के सदस्यों की सहमति से कुलपति महोदय द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार बंद लिफाफों को खोला गया -

S. No.	Name of Candidate	Selected Candidate/ Wait listed Candidate	Selection for Post	Date of Selection Committee Meeting	Category	SoS/ Department
1.	Dr. Dharmendra Kumar Gangeshwer	Selected Candidate	Professor	25.01.2025	SC	Statistics
2.	Dr. Adeep Kujur	Selected Candidate	Associate Professor	25.01.2025	ST-BL	Pharmacy
3.	Indra Kumar	Selected Candidate	Asst. Professor	04.02.2025	SC-BL	Mathematics
4.	Manju Narayan Sarathi	Wait listed Candidate-I	Asst. Professor	04.02.2025	SC-BL	Mathematics
5.	Sagar Rantakar	Wait listed Candidate-II	Asst. Professor	04.02.2025	SC-BL	Mathematics
6.	Dr. Dipti Thakur	Selected Candidate	Associate Professor	04.02.2025	ST-BL	Mathematics

उपर्युक्तानुसार कार्यपरिषद् ने सर्वसम्मति से सीधी भर्ती के संबंध में आयोजित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर सम्बन्धित विषय के चयनित अभ्यर्थी एवं प्रतीक्षा सूची का अनुमोदन किया।

(2) निम्नांकित विषयों हेतु विज्ञापित पदों के लिए किसी भी अभ्यर्थी को चयन समिति द्वारा योग्य न पाये जाने के कारण चयनित अभ्यर्थी निरंक है। अतः कार्यपरिषद् द्वारा इन विषयों को पुनर्विज्ञापित करने की अनुशंसा की गई।

Sr. No.	Post	Subject
1.	Associate Professor (1-SC-BL)	Pharmacy
2.	Associate Professor (1-ST-BL)	Biotechnology

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा, काठाडीह, जिला-रायपुर में विभागाध्यक्ष शिक्षा की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।

निर्णय: आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा, काठाडीह, जिला-रायपुर के विभागाध्यक्ष शिक्षा पद के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित डॉ. बरनाली रॉय (Dr. Barnali Roy) के नाम का अनुमोदन किया गया।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. विश्वविद्यालय परिसर के उद्यानों की वार्षिक रख-रखाव हेतु उद्यानिकी विभाग को तृतीय किश्त राशि रु. 14,03,822/- (रु. चौदह लाख तीन हजार आठ सौ बाईस मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: कार्यवृत्त के विषयसूची बिन्दु क्रमांक 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16 एवं 17 पर कार्यपरिषद् अध्यक्ष की अनुमति से पृथक चर्चा की गई। तत्संबंधित बिन्दुओं पर कार्यपरिषद् का भी अभिमत पृथक से उल्लेखित किये जाने के निर्णय के साथ सम्पूर्ण कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. डॉ. बी.जी. सिंह, प्राध्यापक (से.नि.) मनोविज्ञान अध्ययनशाला के अर्जित अवकाश नगदीकरण राशि रुपए 18,00,150/- (रुपए अठारह लाख एक सौ पचास मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. वार्षिक परीक्षा 2024 (मार्च-अप्रैल 2023-24) हेतु देय अग्रिम राशि 30.00 लाख (रुपए तीस लाख मात्र) समायोजन की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित 38 वें साउथ इस्ट जोन अंतर विश्वविद्यालय युवा उत्सव हेतु देय अग्रिम राशि रु. 5,20,463.00 (रुपए पाँच लाख बीस हजार चार सौ तिरसठ मात्र, राशि रु. 70463.00 प्रतिपूर्ति भुगतान सहित) के समायोजन की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार समायोजन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

5. श्री कैलाश कुमार चौधरी, वरिष्ठ अधीक्षक (से.नि.) शारीरिक शिक्षा विभाग के अर्जित अवकाश नगदीकरण राशि रुपए 7,10,400/- (रुपए सात लाख दस हजार चार सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. NKN Project के तहत इंटरनेट Leased Line (1Gbps) के वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की राशि रुपए 12,20,477.00 (रुपए बारह लाख बीस हजार चार सौ सत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में नवीन मद के रूप में प्रावधानित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्टार्टअप, इनोवेशन एवं रिसर्च तथा अपग्रेडेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन फेसिलिटी के अंतर्गत शासन से प्राप्त अनुदान राशि रु. 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) के सापेक्ष संबंधित उपकरणों के क्रय की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुख्य बजट में नवीन मद के रूप में प्रावधानित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में स्टार्टअप, इनोवेशन एवं रिसर्च तथा अपग्रेडेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन फेसिलिटी के अंतर्गत शासन से प्राप्त अनुदान राशि रु. 50.00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) के सापेक्ष स्टार्टअप, इनोवेशन एवं रिसर्च से संबंधित उपकरणों के क्रय हेतु राशि रूपए 27,90,700/- (सत्ताईस लाख नब्बे हजार सात सौ रूपए मात्र) तथा अपग्रेडेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन फेसिलिटी हेतु उपकरण क्रय राशि रूपए 30,68,000/- (तीस लाख अड़सठ हजार) कुल राशि रूपए 58,58,700/- (अन्तावन लाख अन्तावन हजार सात सौ रूपए मात्र) के सापेक्ष प्रस्तावित उपकरणों को GEM के माध्यम से क्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. वार्षिक परीक्षा 2025, सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2025, सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर-जनवरी 2025-26 तथा अन्य परीक्षाओं के लिए गोपनीय मुद्रण हेतु अनुबंध की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: कुलसचिव द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर प्रस्तावानुसार अनुबंध की स्वीकृति प्रदान की गई।

सामान्य प्रशासन से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों (शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों) का समूह बीमा की दावा राशि रु. 5,17,744.00 (रुपए पाँच लाख सत्रह हजार सात सौ चवालीस मात्र) का किये गए भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय: विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों (शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों) का समूह बीमा की दावा राशि रूपये 5,17,744.00 (रुपए पाँच लाख सत्रह हजार सात सौ चवालीस मात्र) के निम्नानुसार भुगतान की सूचना ग्रहण करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

कं.	नाम/पदनाम		राशि
01	श्री सुजीत कुमार सेन, तकनीकी अधिकारी	(60वर्ष)	1,60,804 = 00
02	श्री आर.एस.केराम, तकनीकी अधिकारी	(60वर्ष)	1,50,195 = 00
03	श्री कुमार सोनवानी, प्र.श्रे.लि.	(60वर्ष)	97,083 = 00
04	श्री मन्नू लाल साहू, चपरासी	(60वर्ष)	24,435 = 00
05	डॉ. रीता वेणुगोपाल, प्रोफेसर	(60वर्ष)	85,227 = 00
कुल			5,17,744 = 00

सामान्य प्रशासन (विधिक प्रकोष्ठ) से प्राप्त प्रस्ताव :-

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पैरवी किये जाने हेतु पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किए जाने एवं शुल्क निर्धारण की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर पैरवी करने हेतु **Ms. Dakshayani Saxena, Advocate (AOR)** को अधिवक्ता नियुक्त करने तथा पैरवी के लिए इनके द्वारा प्रस्तावित शुल्क के सापेक्ष प्रस्तावानुसार शुल्क निर्धारण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

4

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

11. विश्वविद्यालय के विभाग/अध्ययनशालाओं में लगे वाटर कूलर एवं वाटर प्यूरीफायर के वार्षिक रख-रखाव (AMC) हेतु रु. 9,86,137=65 की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग/अध्ययनशालाओं में लगे वाटर कूलर एवं वाटर प्यूरीफायर के वार्षिक रख-रखाव (AMC) हेतु GeM Portal पर Online Bidding की गई थी। Bidding के पश्चात सक्षम समिति की अनुशंसा उपरांत फर्म SAI TECHNO SALES को क्रय आदेश जारी किया गया। प्रस्तावित AMC (वार्षिक रख-रखाव) हेतु कार्यपरिषद की कार्योत्तर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि एक वर्ष बाद इस AMC (वार्षिक रख-रखाव) से होने वाले लाभ-हानि की समीक्षा करते हुए कार्यपरिषद को अवगत कराया जाए।

12. विश्वविद्यालय में स्थापित Desktop Computers की वायरस अटैक से सुरक्षा हेतु एंटी वायरस सॉफ्टवेयर क्रय हेतु रु. 7,59,731=00 स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार विश्वविद्यालय में स्थापित 400 नग Desktop Computers की वायरस अटैक से सुरक्षा हेतु प्रति कम्प्यूटर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर क्रय हेतु रु. 7,59,731=00 (रु. सात लाख उनसठ हजार सात सौ इकत्तीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

13. पुस्तक क्रय देयक रु. 27,67,579=00 (रुपए सत्ताईस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ उन्यासी मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: पुस्तक क्रय देयक रु. 27,67,579=00 (रुपए सत्ताईस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ उन्यासी मात्र) का निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई –

क्र.	फर्म का नाम	राशि (अंको में)
1.	Metro Book Pvt. Ltd., New Delhi	रु.10,87,242.00
2.	Rishabh Books, New Delhi	रु.6,28,288.00
3.	Aadi Books, Delhi	रु.4,75,151.00
4.	Indica Publishers & Distributors Pvt. Ltd., New Delhi	रु.5,14,579.00
5.	Arvind Prakashan, Udaipur	रु.62,319.00
	Total	रु.27,67,579.00

14. विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए 1420 नग स्टूडेंट टेबल एवं स्टूडेंट चेयर क्रय हेतु अनुमानित लागत रु. 46,20,000=00 (रुपए छियालीस लाख बीस हजार मात्र) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: PM-USHA योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान से विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए 1420 नग स्टूडेंट टेबल एवं चेयर, कार्यालय कुर्सी (चेयर एवं टेबल) तथा सेमिनार हॉल के लिए कुर्सियों को छ.ग. भंडार क्रय नियम अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्रय किये जाने हेतु रु. 46,20,000=00 (रुपए छियालीस लाख बीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रय किये हुए फर्नीचर को आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं एवं अन्य विभागों को प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

15. PM-USHA के तहत Research Software क्रय हेतु अनुमानित लागत रू. 1,04,36,576=00 की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: छ.ग. भंडार कय नियम अनुसार Proprietary Article कय हेतु PM-USHA योजनान्तर्गत प्राप्त अनुदान से निम्नलिखित Research Software को GEM से क्रय किये जाने हेतु अनुमानित लागत रू. 1,04,36,576=00 की स्वीकृति प्रदान की गई :-

क्र.	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत
1.	MATLAB Campus Wide License (CWL)	रू. 19,47,000=00
2.	Cadence VLSI University Research Bundle	रू. 39,41,200=00
3.	VLSI Lab Tool Under CoreEL University Program	रू. 24,24,376=00
4.	Silvaco Victory 3D Bundle Research Bundle	रू. 21,24,000=00
Total		रू. 1,04,36,576=00

रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

16. डॉ. शम्स परवेज, रसायन अध्ययनशाला, PI SERB-MRP को स्वीकृत परियोजना अनुदान (CRG/2022/003926) के अंतर्गत non-recurring एवं recurring मद में जारी की गई राशि रुपये 37,00,000=00 एवं रुपये 9,03,600=00, क्रमशः कुल राशि रुपये 46,03,600=00 (रुपए छियालीस लाख तीन हजार छह सौ मात्र) के विरुद्ध व्ययित राशि रुपये 40,53,330=00 (रुपए चालीस लाख तिरपन हजार तीन सौ तीस मात्र) के समायोजन की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार समायोजन की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. नवीन शोध के प्रोत्साहन एवं अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विनियम क्र. 212 (Part-A) Research Promotion Policy for Faculties and Research Scholars of UTDs of PRSU के अंतर्गत Expert Committee के समक्ष आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रेजेंटेशन पश्चात् निम्नलिखित 06 शिक्षकों को सत्र 2024-25 के लिए उनके द्वारा संशोधित प्रस्तुत प्रोजेक्ट के अनुसार Research Grant Seed Money दिया जाना है-

क्रमांक	आवेदक का नाम	विभाग का नाम
1	Dr. Govind Prasad Sahu	CBS
2	Dr. Shivendra Singh Dewhare	Life Science
3	Dr. Dipti Thakur	Mathematics
4	Shri Chitrakant Belodhiya	Physics & Astrophysics
5	Dr. Veenu Joshi	CBS
6	Shri Labya Prabhash	Life Science

उपर्युक्तानुसार आबंटित प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले अनुदान के सापेक्ष Expert Committee द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि की स्वीकृति/अदायगी हेतु कुलपति जी को अधिकृत किये जाने पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार अनुमोदन करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

(i) विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिन्दु क्रमांक 7 में विनियम क्रमांक 212 के अंतर्गत Part-A : Seed Money for Minor Research Project के संशोधन बिन्दु क्रमांक 4.1 एवं 4.2 में अनुशंसा के अनुसार (अनुदान राशि न्यूनतम 2.5 लाख व अधिकतम 5.00 लाख) आबंटित प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले अनुदान के सापेक्ष

Expert Committee द्वारा निर्धारित की जाने वाली Research Grant Seed Money की राशि की स्वीकृति/अदायगी हेतु कुलपति जी को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

- (ii) प्रदत्त प्रोजेक्ट का प्रत्येक 6 माह में Expert Committee द्वारा समीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया।

मूल विज्ञान केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

18. मूल विज्ञान केंद्र के तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति माह जुलाई 2024 से दिसम्बर 2024 हेतु कुल राशि रु. 7,55,638/- (रुपए सात लाख पचपन हजार छः सौ अड़तीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

19. मूल विज्ञान केंद्र के पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति माह जून 2024 से दिसम्बर 2024 हेतु कुल राशि रु. 5,94,802/- (रुपए पाँच लाख चौरनबे हजार आठ सौ दो मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

20. डॉ. कविता ठाकुर, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला द्वारा भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान फलस्वरूप प्राप्त आवेदन दिनांक 13.02.2025 द्वारा पुत्र के विवाह हेतु राशि रु. 12,00,000.00 (रुपए बारह लाख मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

21. कैटीन के खाद्य सामग्री का दर निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णय: सक्षम समिति की अनुशंसा के आधार पर विकास विभाग द्वारा कैटीन की खाद्य सामग्री के संबंध में सामग्री अनुसार प्रस्तुत दर को अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिंदु क्रमांक 04 में M.Com. (Integrated Program) पाठ्यक्रम के प्रस्तावित नवीन अध्यादेश की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावित कोर्स के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए B.Com.-M.Com. (5 Year Integrated Program) पाठ्यक्रम के नाम से प्रस्तावित नवीन अध्यादेश क्रमांक 214 की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

02. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिंदु क्रमांक 05 में Draft Revised Regulation No. 149 The regulation specifies miscellaneous provisions under the Ordinance 170. (The provision of Revised Ordinance 170 should be followed prior to application of this regulation) की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।



03. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिंदु क्रमांक 06 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अध्यादेश क्र. 210 Four Year Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020) के अंतर्गत Draft Regulation की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. 2142/1131/2024/38-2 दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 के परिपालन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत Regulation No. 221 Four Year Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020) (Under Ordinance No. 210) की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

04. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिंदु क्रमांक 07 में विनियम क्रमांक 212 के अंतर्गत संचालित 'Part A: Seed Money for Minor Research Projects' में संशोधन की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विनियम क्रमांक 212 के अंतर्गत संचालित 'Part A: Seed Money for Minor Research Projects' में संशोधन हेतु अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

05. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिंदु क्रमांक 08 में शैक्षणिक एवं संस्थागत विकास हेतु विश्वविद्यालय परिसर में PITEF display center (PRSU Innovation Technology Entrepreneurship Foundation (PITEF)) की स्थापना की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: शैक्षणिक एवं संस्थागत विकास हेतु विश्वविद्यालय परिसर में PITEF Display Center (PRSU Innovation Technology Entrepreneurship Foundation Display Center) की स्थापना/निर्माण की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

06. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिंदु क्रमांक 09 में विश्वविद्यालय में नीति निर्धारण हेतु Proposed Policies Developed in Key Areas for Review and Approval की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: शैक्षणिक गुणवत्ता और संस्थागत प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु IQAC द्वारा प्रस्तावित नीतियों की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

07. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिंदु क्रमांक 10 में विश्वविद्यालय में डिजिटल शिक्षण पहल को मजबूत करने हेतु E-Content and MOOC Course Development की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय में डिजिटल शिक्षण पहल को मजबूत करने हेतु E-Content and MOOC Course Development के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर आवश्यक संसाधन स्थापित किये जाने की अनुशंसा की गई।

08. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिंदु क्रमांक 11 में विश्वविद्यालय में Ordinance No. 170 - Semester System में निम्नांकित संशोधन की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना –

Ordinance	Current provisions	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
170(2)		2(1)The eligibility criteria for admission in Master in Public Health (MPH) a candidate should have be graduates in Medicine, AYUSH, Dentistry, Veterinary Sciences, Allied and Health Sciences,	Start New Course Master in Public Health (MPH)

		Life Sciences, Nutrition, Anthropology, Statistics, Demography, Population Studies, Sociology, Psychology, Social Work, Rural Development, Management.																																																																																																		
		2(m) For admission in M.A. in Yoga , a candidate must have a graduate of any discipline.	Start New Course M.A. in Yoga																																																																																																	
		2(n) For admission in M.A. in Women & Gender Studies , a candidate must have a graduate of any discipline.	Start New Course M.A. in Women & Gender Studies																																																																																																	
		2(o) For admission in M.A. in Tribal Studies & Indian knowledge system , a candidate must have a graduate of any discipline.	Start New Course M.A. in Tribal Studies & Indian knowledge system																																																																																																	
170(3)	Every candidate thus admitted shall pursue regularly the prescribed courses in each of the four semesters successively. The Master's Degree shall be awarded to those candidates who have obtained a minimum SGPA of 4 in each of the four semesters and at least a grade letter "P" in each course of four semesters in theory and practical courses	Every candidate thus admitted shall pursue regularly the prescribed courses in each of the four semesters successively. The Master's Degree shall be awarded to those candidates who have obtained a minimum SGPA of 4 in each of the four semesters and at least a grade letter "P" in each course of four semesters in theory and practical courses	To incorporate Credit and Grade System as suggested in NEP-2020.																																																																																																	
	separately (taking together continuous internal assessment and end semester evaluation). The successful candidate shall be placed in divisions on the following basis.	separately (taking together continuous internal assessment and end semester evaluation). The successful candidate shall be placed in divisions on the following basis.																																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Criteria</th> <th>Division</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CGPA \geq 7.5</td> <td>I with Distinction</td> </tr> <tr> <td>4.8 \leq CGPA < 6.0</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>4.0 \leq CGPA < 4.8</td> <td>III</td> </tr> </tbody> </table> <p>The student will be assigned a grade letter/grade point in each course based according to the following criteria.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Range of marks in %</th> <th>Grade point</th> <th>Letter grade</th> <th>Grade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>90 to \leq 100</td> <td>10</td> <td>O</td> <td>Outstanding</td> </tr> <tr> <td>>80 to \leq 90</td> <td>9</td> <td>A+</td> <td>Excellent</td> </tr> <tr> <td>>70 to \leq 80</td> <td>8</td> <td>A</td> <td>Very good</td> </tr> <tr> <td>>60 to \leq 70</td> <td>7</td> <td>B+</td> <td>Good</td> </tr> <tr> <td>>50 to \leq 60</td> <td>6</td> <td>B</td> <td>Above Average</td> </tr> <tr> <td>>40 to \leq 50</td> <td>5</td> <td>C</td> <td>Average</td> </tr> <tr> <td>=40</td> <td>4</td> <td>P</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>< 40</td> <td>0</td> <td>F</td> <td>Fail</td> </tr> <tr> <td>Absent</td> <td>0</td> <td>Ab</td> <td>Fail</td> </tr> </tbody> </table> <p>Description</p>	Criteria	Division	CGPA \geq 7.5	I with Distinction	4.8 \leq CGPA < 6.0	II	4.0 \leq CGPA < 4.8	III	Range of marks in %	Grade point	Letter grade	Grade	>90 to \leq 100	10	O	Outstanding	>80 to \leq 90	9	A+	Excellent	>70 to \leq 80	8	A	Very good	>60 to \leq 70	7	B+	Good	>50 to \leq 60	6	B	Above Average	>40 to \leq 50	5	C	Average	=40	4	P	Pass	< 40	0	F	Fail	Absent	0	Ab	Fail	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Criteria</th> <th>Division</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Division CGPA \geq 7.5</td> <td>I with Distinction</td> </tr> <tr> <td>6.0 \leq CGPA < 7.5</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>4.8 \leq CGPA < 6.0</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>4.0 \leq CGPA < 4.8</td> <td>III</td> </tr> </tbody> </table> <p>The student will be assigned a grade letter/grade point in each course based according to the following criteria.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Range of marks in %</th> <th>Grade point</th> <th>Letter grade</th> <th>Grade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>90 to \leq 100</td> <td>10</td> <td>O</td> <td>Outstanding</td> </tr> <tr> <td>>80 to \leq 90</td> <td>9</td> <td>A+</td> <td>Excellent</td> </tr> <tr> <td>>70 to \leq 80</td> <td>8</td> <td>A</td> <td>Very good</td> </tr> <tr> <td>>60 to \leq 70</td> <td>7</td> <td>B+</td> <td>Good</td> </tr> <tr> <td>>50 to \leq 60</td> <td>6</td> <td>B</td> <td>Above Average</td> </tr> <tr> <td>>40 to \leq 50</td> <td>5</td> <td>C</td> <td>Average</td> </tr> <tr> <td>=40</td> <td>4</td> <td>P</td> <td>Pass</td> </tr> <tr> <td>< 40</td> <td>0</td> <td>F</td> <td>Fail</td> </tr> <tr> <td>Absent</td> <td>0</td> <td>Ab</td> <td>Fail</td> </tr> </tbody> </table> <p>Description</p>	Criteria	Division	Division CGPA \geq 7.5	I with Distinction	6.0 \leq CGPA < 7.5	I	4.8 \leq CGPA < 6.0	II	4.0 \leq CGPA < 4.8	III	Range of marks in %	Grade point	Letter grade	Grade	>90 to \leq 100	10	O	Outstanding	>80 to \leq 90	9	A+	Excellent	>70 to \leq 80	8	A	Very good	>60 to \leq 70	7	B+	Good	>50 to \leq 60	6	B	Above Average	>40 to \leq 50	5	C	Average	=40	4	P	Pass	< 40	0	F	Fail	Absent	0	Ab	Fail
Criteria	Division																																																																																																			
CGPA \geq 7.5	I with Distinction																																																																																																			
4.8 \leq CGPA < 6.0	II																																																																																																			
4.0 \leq CGPA < 4.8	III																																																																																																			
Range of marks in %	Grade point	Letter grade	Grade																																																																																																	
>90 to \leq 100	10	O	Outstanding																																																																																																	
>80 to \leq 90	9	A+	Excellent																																																																																																	
>70 to \leq 80	8	A	Very good																																																																																																	
>60 to \leq 70	7	B+	Good																																																																																																	
>50 to \leq 60	6	B	Above Average																																																																																																	
>40 to \leq 50	5	C	Average																																																																																																	
=40	4	P	Pass																																																																																																	
< 40	0	F	Fail																																																																																																	
Absent	0	Ab	Fail																																																																																																	
Criteria	Division																																																																																																			
Division CGPA \geq 7.5	I with Distinction																																																																																																			
6.0 \leq CGPA < 7.5	I																																																																																																			
4.8 \leq CGPA < 6.0	II																																																																																																			
4.0 \leq CGPA < 4.8	III																																																																																																			
Range of marks in %	Grade point	Letter grade	Grade																																																																																																	
>90 to \leq 100	10	O	Outstanding																																																																																																	
>80 to \leq 90	9	A+	Excellent																																																																																																	
>70 to \leq 80	8	A	Very good																																																																																																	
>60 to \leq 70	7	B+	Good																																																																																																	
>50 to \leq 60	6	B	Above Average																																																																																																	
>40 to \leq 50	5	C	Average																																																																																																	
=40	4	P	Pass																																																																																																	
< 40	0	F	Fail																																																																																																	
Absent	0	Ab	Fail																																																																																																	
		(i) Letter grades O, A+, A, B+, B, C, and P awarded to a student in a course means that the student has passed that course.																																																																																																		
		(ii) The grade F and Ab denote FAIL; a student fails in the course due to poor performance or non-appearance/incomplete appearance in																																																																																																		

	<p>(i) Letter grades O, A+, A, B+, B, C, and P awarded to a student in a course means that the student has passed that course.</p> <p>(ii) The grade F and Ab denote FAIL; a student fails in the course due to poor performance or non-appearance/incomplete appearance in the examination held for the course. A student may appear in subsequent examination(s), as per the provisions of the Ordinances in all such courses, until a passing grade is obtained, which shall be subject to maximum time limit set out for completion of the programme.</p> <p>(iii) Semester Grade Point Average (SGPA) = $\frac{\sum(C_i \times G_i)}{\sum C_i}$ where, C_i is the number of credits of the i^{th} course and G_i is the grade point scored by the student in the i^{th} course.</p> <p>(iv) Cumulative Grade Point Average (CGPA) = $\frac{\sum(C_i \times S_i)}{\sum C_i}$ where, S_i is the SGPA of the i^{th} semester and C_i is the total number of credits in that semester.</p>	<p>the examination held for the course. A student may appear in subsequent examination(s), as per the provisions of the Ordinances in all such courses, until a passing grade is obtained, which shall be subject to maximum time limit set out for completion of the programme.</p> <p>(iii) Semester Grade Point Average (SGPA) = $\frac{\sum(C_i \times G_i)}{\sum C_i}$ where, C_i is the number of credits of the i^{th} course and G_i is the grade point scored by the student in the i^{th} course.</p> <p>(iv) Cumulative Grade Point Average (CGPA) = $\frac{\sum(C_i \times S_i)}{\sum C_i}$ where, S_i is the SGPA of the i^{th} semester and C_i is the total number of credits in that semester.</p>	
--	--	---	--

निर्णय: प्रस्तावानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

09. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिंदु क्रमांक 12 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निम्नलिखित चार महाविद्यालयों को असम्बद्ध किये जाने की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना –

- (i) प्लेटिनम कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, माना, रायपुर (छ.ग.)
- (ii) ए.व्ही.एस. प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल कालेज, माना रायपुर (छ.ग.)
- (iii) नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महाविद्यालय, खरोरा, रायपुर (छ.ग.)
- (iv) प्रज्ञा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रत्नाबांध, धमतरी (छ.ग.)।

निर्णय: विश्वविद्यालय परिनियम 27 की कंडिका 9 के अनुक्रम में निम्नलिखित चार महाविद्यालयों को अस्थाई रूप से असम्बद्ध करते हुए असम्बद्धता के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग को सूचित किये जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया –

- (i) प्लेटिनम कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडीज, माना, रायपुर (छ.ग.)
- (ii) ए.व्ही.एस. प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल कालेज, माना रायपुर (छ.ग.)
- (iii) नानकचंद रमेशचंद अग्रवाल महाविद्यालय, खरोरा, रायपुर (छ.ग.)
- (iv) प्रज्ञा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रत्नाबांध, धमतरी (छ.ग.)।

10. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिंदु क्रमांक 14 में शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला और स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा आयोजित Free Self Defense Training Camp exclusively for Females के लिए प्रस्तावित Rules and Guidelines की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार **Free Self Defense Training Camp exclusively for Females** को **Sports Club** एवं शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के संयुक्त संचालन में संचालित करने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

11. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिंदु क्रमांक 15 में शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला और योगा एंड मेडिटेशन क्लब के द्वारा आयोजित Yoga Training Camp के लिए प्रस्तावित Rules and Guidelines की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार **Yoga Training Camp** को **Yoga & Meditation Club** एवं शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के संयुक्त संचालन में संचालित करने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

12. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिंदु क्रमांक 16 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत संस्थान विकास योजना प्रकोष्ठ (Institutional Development Plan Cell) आदेश क्रमांक 3055/अका./एफ-27/2024 रायपुर, दिनांक 23.04.2024 के द्वारा गठन किया गया है। प्रकोष्ठ द्वारा 10 वर्षों हेतु NEP 2020 और यू.जी.सी. गार्ड लाइन के अंतर्गत 2025 से 2035 तक के लिए निर्मित Institutional Development Plan की अनुशंसा कर विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड किये जाने की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

13. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु-1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2025 के बिंदु क्रमांक 17 में Dr. Rajesh Kumar Mishra, IPS & Director, State Forensic Science Laboratory, Police Line Campus, Tikrapara, Raipur को फोरेंसिक साइंस अध्ययनशाला में Visiting Professor के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: विनियम 214 के अनुक्रम में दिनांक 06.02.2025 को Screening /Expert Committee की बैठक में लिये गए निर्णय के क्रम में Dr. Rajesh Kumar Mishra, IPS & Director, State Forensic Science Laboratory, Police Line Campus, Tikrapara, Raipur को 1 वर्ष के लिये फोरेंसिक साइंस अध्ययनशाला में Visiting Professor के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।


14. PM-USHA परियोजना के उपकरण क्रय मद में शामिल भू-विज्ञान अध्ययनशाला के जियोफिजिकल प्रयोगशाला में स्थित उपकरण हेतु निम्न क्रय किया जाना है -


S.No.	Details	Unit price INR (Per Unit Price)	Quantity	Total Amount
1	Multicore cable 12 output 10m spacing for existing SYSCAL Switch 48, Delivered on reel	4,76,625.60	2 nos.	9,53,251.20 (including 18%GST)

उक्त उपकरण क्रय हेतु अनुमानित राशि रु. 9,53,251.20 (including 18%GST) की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय: प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 401 / अका./ का.प/ 2025
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 25/02/2025

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
- संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
- वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
- कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)